राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः–वर्तमान सरकार के 02 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ''ग्रामीण सेवा शिविर के फॉलोअप शिविर''आयोजित 17 दिसम्बर, 2025 से 24 दिसम्बर, 2025 आयोजित किये जाने बाबत।

संदर्भः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के क्रम में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–5) विभाग क्रमांक प०19(7) राज–5/सम/2025 राजकाज पत्रांक 19104705 दिनांक 01.12.2025 के कम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि ''ग्रामीण सेवा शिविर के फॉलोअप शिविर'' 17 दिसम्बर, 2025 से 24 दिसम्बर, 2025 तक (दिनांक 21.12.2025 को छोडकर) आयोजित किये जाने है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त मुख्यालय पर शिविरो का आयोजन पंचायत भवन, स्कूल भवन या उपलब्ध अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जावें तथा आगन्तुको के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावे। शिविर में मेज, कुर्सियों, दरियों, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त मुख्यालय पर राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा।

शिविरों का आयोजन पंचायत भवन, स्कूल भवन या उपलब्ध अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जावें तथा आगन्तुकों के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावे। शिविर में मेज, कुर्सियों, दरियों, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग के संबंध में विभागीय पंत्राक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या (अ) 3 **XIII** के अंतर्गत ''ग्रामीण सेवा शिविर के फॉलोअप शिविर'' 17 दिसम्बर 2025 से 24 दिसम्बर 2025 के मध्य, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मुख्यालय (**Each ILR HQ**) से संबंधित ग्राम पंचायत, जहाँ पर शिविर आयोजित होना है, उस ग्राम पंचायत द्वारा शिविर आयोजन हेतु राशि रु. 25,000/– (अधिकतम) का व्यय/उपयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत उपलब्ध अनुदान राशि से व्यय करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332501835 दिनांक 05.12.2025 द्वारा अनुमोदित है।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
6. अधीक्षण अभियंता , पंचायती राज विभाग।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2025.12.08 19:44:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19260692